

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
इंदौर Indore-452013

जून/June 1, 2023

कार्यालय आदेश डी- 23-2023/OFFICE ORDER D-23-2023

विषय: राराप्रप्रौके में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पारदर्शिता अधिकारी को नामित करना।

Sub: Designating Transparency Officer under Right to Information Act 2005 in RRCAT.

श्री प्रवीण फतनानी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक और प्रमुख, त्वरक नियंत्रण प्रणाली प्रभाग (एसीएसडी) की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, उपरोक्त विषय पर पहले के आदेशों के अधिक्रमण में, श्री मनोज लीलाचंद गांधी, वैअ/एच एवं प्रमुख, पीपीएससीएस, एपीएसडी, राराप्रप्रौके को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राराप्रप्रौके में पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

Consequent upon the retirement on superannuation of Shri Pravin Fatnani, OS and Head, Accelerator Control Systems Division (ACSD), in supersession of earlier orders on the above subject, Shri Manoj Leelachand Gandhi, SO/H & Head, PPSCS, APSD, RRCAT is designated as Transparency Officer in RRCAT under Right to Information Act 2005.

पारदर्शिता अधिकारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 07.11.2019 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-IV के तहत स्वतः प्रकटीकरण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

The Transparency Officer is required to ensure implementation of suo-motu disclosure under Section-IV of Right to Information Act 2005 as per the guidelines issued by Department of Personnel & Training dated 07.11.2019.

पारदर्शिता अधिकारी को विभिन्न मामलों में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जैसा कि नीचे दिया गया है :-

- | | |
|--|--|
| क) प्रमुख, परियोजना समन्वय अनुभाग | : बजट और परियोजनाओं से संबंधित मामले |
| ख) क्रय अधिकारी, आईआरपीयू | : अधिप्राप्ति से संबंधित मामले |
| ग) कम्प्यूटर प्रभाग का प्रतिनिधि | : डिजिटल प्रकाशन |
| घ) प्रशासनिक अधिकारी-III
(प्रशा. अनुभाग -2) | : अन्य सभी मामले जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं
(ए, बी और सी ऊपर) |

Cont...2

The Transparency Officer will be assisted by the following officials on various matters as given below:-

- a) Head, Project Co-ordination Section : Matters related to budget and projects
- b) Purchase Officer, IRPU : Matters related to procurement
- c) Representative of Computer Division : Digital publication
- d) Administrative Officer-III : All other matters not covered under
(Adm. Section -2) (a, b & c above)

शंकर वि. नाखे

(शंकर वि.नाखे/Shankar V. Nakhe)

निदेशक/Director

श्री मनोज लीलाचंद गांधी, वैअ/एच एवं प्रमुख, पीपीएससीएस, एपीएसडी, राराप्रप्रौके
Shri Manoj Leelachand Gandhi, SO/H and Head, PPSCS, APSD, RRCAT

प्रतिलिपि/Copy to :

1. प्रमुख, परियोजना समन्वय अनुभाग, राराप्रप्रौके/ Head, Project Co-ordination Section, RRCAT
2. क्रय अधिकारी, आईआरपीयू, राराप्रप्रौके/ Purchase Officer, IRPU, RRCAT
3. अध्यक्ष, कंप्यूटर प्रभाग, राराप्रप्रौके : कृपया एक को प्रतिनिधि नामित करें ।
Head, Computer Division, RRCAT
4. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा. अनुभाग -2), राराप्रप्रौके
Administrative Officer (Adm. Sec. -2), RRCAT
5. डीएसी/एससीआर के सदस्य / Members of DAC/SCR
6. प्रभागों/अनुभागों/प्रयोगशालाओं के प्रमुख/Heads of Divisions/Sections/Labs. } For information
please.